भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3040

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध

†3040. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार है कि देश में वाहनों के यातायात का वर्तमान घनत्व अत्यधिक है और क्या इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पंजीकृत मोटर गाड़ियों की शहर-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का किसी परिवार द्वारा 1 या 2 से अधिक गाड़ियां खरीदने या पंजीकृत कराने पर कोई प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में वाहन यातायात के बढ़ते घनत्व को नियंत्रित करने के उपायों का पता लगाने के लिए कोई समयबद्ध अध्ययन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67(3) राज्य सरकार को माल और यात्रियों के परिवहन के लिए योजनाएँ बनाने और परिवहन में विकास और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना के तहत लाइसेंस जारी करने का अधिकार देती है।

इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत नियम और विनियम बनाने और अधिसूचित करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। हालांकि, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है।

शहरी परिवहन की योजना शहरी नियोजन के साथ जुड़ी हुई है जो एक राज्य का विषय है। सतत शहरी परिवहन प्रणाली की योजना के लिए पहल और सड़क पर बढ़ती यातायात भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए अन्य कदम संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए जाते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शहरी परिवहन के क्षेत्र में अवधारणाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए सिद्धांतों और रणनीतियों की पहचान करने में शहरों/यूएलबी/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने के लिए नीति (राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006) और अन्य विभिन्न मार्गदर्शक ढांचे अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) वाहन पोर्टल पर उपलब्ध शीर्ष 50 जिलों में सक्रिय वाहनों की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि यह मुद्दा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3040 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

रैंक	राज्य का नाम	ज़िला	पंजीकृत सक्रिय वाहनों की संख्या
1	कर्नाटक	बैंगलोर	73,24,517
2	महाराष्ट्र	पुणे	44,26,887
3	तमिलनाडु	चेन्नई	31,48,598
4	राजस्थान	जयपुर	27,24,430
5	महाराष्ट्र	ठाणे	27,21,146
6	महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर	23,58,503
7	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	20,82,355
8	गुजरात	सूरत	20,65,074
9	गुजरात	अहमदाबाद	19,90,522
10	केरल	एर्नाकुलम	17,45,780
11	मध्य प्रदेश	इंदौर	17,22,085
12	तमिलनाडु	कोयंबटूर	17,04,388
13	केरल	मलप्पुरम	15,90,755
14	तेलंगाना	हैदराबाद	15,79,409
15	केरल	तिरुवनंतपुरम	15,42,423
16	महाराष्ट्र	नागपुर	15,21,223
17	हरयाणा	गुडगाँव	15,18,806
18	दिल्ली	उत्तर	14,76,653
19	बिहार	पटना	14,43,495
20	तमिलनाडु	चैंगलपट्टू	14,25,391
21	तेलंगाना	मेडचल मलकाजगिरी	14,10,387
22	तेलंगाना	रंगारेड्डी	13,89,879
23	केरल	त्रिशूर	13,60,635
24	केरल	कोझिकोड	13,49,859
25	पंजाब	लुधियाना	13,49,406
26	महाराष्ट्र	नासिक	12,79,680
27	गुजरात	राजकोट	12,72,860
28	ओडिशा	खुर्दा	12,61,255
29	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	11,83,343
30	गुजरात	वडोदरा	11,82,756
31	छत्तीसगढ	रायपुर	11,06,861
32	राजस्थान	झुंझुनूं	10,93,640
33	केरल	कोल्लम	10,92,337

34	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	10,86,137
35	मध्य प्रदेश	भोपाल	10,74,065
36	दिल्ली	दक्षिण	10,48,932
37	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	10,38,376
38	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	10,33,650
39	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	10,25,441
40	कर्नाटक	मैसूर	10,24,829
41	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	10,23,762
42	केरल	पलक्कड़	10,11,460
43	असम	कामरूप महानगर	10,06,142
44	झारखंड	रांची	10,03,703
45	उत्तराखंड	देहरादून	10,02,442
46	कर्नाटक	बेलगाम	9,74,827
47	केरल	कन्नूर	9,64,501
48	हरियाणा	फरीदाबाद	9,39,315
49	गुजरात	अहमदाबाद (पूर्व)	9,14,743
50	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	9,13,260
